न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)**

राजस्व वाद संख्या : **167/2017**

वादी :-

1. रामूराम पुत्र पूनाराम
जाति भांबी निवासी आगेवा
हाल मोकाला तहसील
मेड़तासिटी जिला नागौर (राज.)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. तहसीलदार जैतारण
तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)
2. रतनाराम पुत्र पूनाराम
जाति भांबी निवासी आगेवा हाल मोकाला तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर
3. अणदाराम पुत्र नारायण
4. कानाराम पुत्र नारायण
5. जीवली बेवा नारायण
6. दलाराम पुत्र जसा
7. कविता पुत्री सोहन
8. ममता पुत्री सोहन
जातिगण भांबी निवासी आगेवा
तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act.</u> **तारीख रजू:.28/08/2017**

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री पुष्पेन्द्र सेन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 10/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-आगेवा, पटवार हल्का-आगेवा, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी एवं संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 540/1 रकबा 01-02 तथा खसरा नम्बर 429 09-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसका मौके पर काबिज खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-2076 में वादी का नाम चम्पालाल पि. पूना इन्द्राज है। जो गलत नाम इन्द्राज हो गया है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता पूनारामजी के फौत होने के बाद फौतेदगी नामान्तरणकरण में वादी का बचपन का नाम चम्पा व चम्पालाल लिख दिया गया है। उक्त नाम वादी का गलत इन्द्राज कर दिया है। वक्त नामान्तरणकरण वादी खाने कमाने के लिए बाहर गया हुआ था तथा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा खातेदार पूनाराम जी के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही उक्त नाम चम्पा व चम्पालाल लिख दिया है। जबकि वादी का वास्तविक व राजकीय दस्तावेजों में रामूराम अंकित है। जो वादी द्वारा प्रस्तुत परिवार का आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मेड़तासिटी की डायरी में, वादी का नाम रामूराम पुत्र श्री पूनाराम अंकित है। इस प्रकार आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मेड़तासिटी की डायरी में, वादी का नाम रामूराम पुत्र श्री पूनाराम अंकित है। प्रमाणित फोटो प्रति इत्यादि वादपत्र के साथ पेश है। वादी के पिता के फौत होने के बाद वादी के पक्ष में फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत हुआ। जिसमें पूनाराम के जायन्दा दो पुत्र क्रमशः रतनाराम, चम्पा पि. पूनाराम दर्ज है। वादी के बड़े भाई का नाम सही है तथा वादी का बचपन का नाम चम्पा व चम्पालाल अंकित कर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

दिया है। जो गलत इन्द्राज है, जबकि वादी का नाम रेकर्डेड रामूराम पुत्र श्री पूनाराम है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि पटवारी हल्का द्वारा पूनाराम के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम चम्पा व चम्पालाल गलत इन्द्राज कर दिया। इस प्रकार वादी का राजस्व रेकर्ड में नाम गलत इन्द्राज होने से वादी फोरलेन हाईवे में अपनी जमीन जाने का मुआवजा मिलने से लाभांवित नहीं हो सकता है तथा वादी को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा वादी के पक्ष में पूर्व में जो फौतेदगी नामान्तरणकरण गलत भरा गया है। जो वादी के हितों के विरूद्ध बेअसर है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायतन आवश्यक है। इस प्रकार वादी का राजस्व रेकर्ड में सही नाम इन्द्राज नहीं होता है तो वादी को अपने जायज साम्पेतिक हक हकुको व अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा तथा वादी को असीम हानि होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिए वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना सही नाम रामूराम इन्द्राज कराने हेतु यह वाद पत्र बाबत् घोषणा का सादर पेश है। नकल प्रमाणित जमाबंदी 2070-2073 वादपत्र के साथ संलग्न है। वादी अपने खातेदारी के संबंध में फोरलेन हाईवे में अपनी जमीन जाने का मुआवजा लेने हेतु पटवारी हल्का आगेवा के पास गया तो राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम चम्पा व चम्पालाल इन्द्राज होने से उक्त योजना के तहत लाभांवित नही हो सकता तथा बैंक से ऋण नहीं हो सकता तब पटवारी हल्का द्वारा वादी को अपना सही नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही करने की बात कही तब वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 28.7.2017 को प्राप्त की तब प्रथम बार वादी को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का गलत इन्द्राज होने का पता चला। तब वादी द्वारा श्रीमान् तहसीलदार जैतारण के समक्ष उसी दिनांक 28.7.2017 को अपने नाम का राजस्व रेकर्ड में संशोधन करने बाबत् पेश किया। जिस पर तहसीलदार जैतारण ने संशोधन करने से स्पष्ट मना कर दिया तथा श्रीमान् के न्यायालय में वाद पत्र पेश करने की बात कही। इसलिए श्रीमान् के समक्ष वादी द्वारा यह घोषणा का वाद पत्र पेश किया है। बिनाय वाद दिनांक 28/7/2017 को वादी को सर्व प्रथम अपने नाम की रोंग एन्ट्री की जानकारी राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर तथा संशोधन बाबत् श्रीमान् तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार द्वारा उक्त संशोधन करने से स्पष्ट मना करने पर बमुकाम ग्राम आगेवा तहसील जैतारण में वाद कारण पैदा है। जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा अन्दर म्याद वाद पत्र पेश है।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज चम्पा व चम्पालाल के स्थान पर वास्तविक नाम रामूराम पुत्र पूनाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रति0 संख्या 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सा0मि0 किया गया। प्रति0 संख्या 03 से 06 बावजूद सम्मन सूचना / तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आगेवा में पेश हुई। पटवारी हल्का मय भू0अ0निरीक्षक ने मजमा-ए-आम में फर्द मौका रिपोर्ट बनाकर पेश की, सा0मि0 की गई। फर्द मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौतबिरान लोगों ने बताया कि पूनाराम के दो पुत्र रतनाराम व रामूराम हैं। तथा रामूराम को ही

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

बचपन में चम्पालाल के नाम से जाना जाता थ। अतः राजस्व रेकर्ड में चम्पालाल दर्ज हो गया। चम्पालाल व रामूराम एक ही व्यक्ति हैं। पूनाराम के चम्पालाल नाम की अन्य कोई सन्तान नहीं हैं। साक्ष्य दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, में भी रामूराम पुत्र पूनाराम दर्ज हैं। चम्पालाल का सही व शुद्ध नाम रामूराम होने से उपरोक्त खसरा नम्बर 540/1, 429 में चम्पालाल पुत्र पूनाराम के स्थान पर रामूराम पुत्र पूनाराम दर्ज किया जाना उचित हैं। फर्द मौका रिपोर्ट सा0मि0 हो। वाद के समर्थन में वादी रामूराम व प्रति0 सं0 2 रतनाराम के बयान कलमबद्ध किये गये। अपने बयानों में भी चम्पालाल के स्थान पर रामूराम दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में जाहिर किया कि चम्पालाल व रामूराम एक ही व्यक्ति हैं। बचपन में चम्पालाल कहने से रेकर्ड में चम्पालाल दर्ज हो गया, जिसे दुरूस्त कर रामूराम दर्ज किये जाने की घोषणा फरमावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि चम्पालाल व रामूराम एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया। वस्तुतः वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में राशन कार्ड संख्या 008315800004, पहचान पत्र संख्या RJ/25/199/087614, आधार कार्ड सं0 694774335905 की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम रामूराम पुत्र पूनाराम ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से चम्पालाल दर्ज नाम के स्थान पर रामूराम पुत्र पूनाराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-आगेवा, पटवार हल्का-आगेवा, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी एवं संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 540/1 रकबा 01-02 तथा खसरा नम्बर 429 09-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम चम्पालाल के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम रामूराम पुत्र पूनाराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

10/05/18
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 10/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आगेवा में सुनाया गया।

10/05/18
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

Scanned by CamScanner